



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 3345TSEIAA/2022

Date: 17/3/22

प्रति,

खनिज अधिकारी,
जिला- झाबुआ (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्र. 9048/2022 - परियोजना प्रस्तावक श्री अंकित गुप्ता, आत्मज श्री सुरेशचन्द्र गुप्ता, निवासी -रामकृष्ण नगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, उत्पादन क्षमता 7,980 घनमीटर प्रति वर्ष खसरा नं. 83, 84/1, 103/1 रकबा 2.00 हेक्टेयर, ग्राम पीपलदेहला तहसील एवं जिला झाबुआ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में SEAC समिति द्वारा 556वी बैठक दिनांक 02.03.2022 में अनुशांसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 710 वी बैठक दिनांक 09.03.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार प्रस्तावित खदान क्षेत्र में पूर्व से ही उत्खनन कार्य होना परिलक्षित हो रहा है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है कि प्रकरण में जिला खनिज अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कर खनन स्थल की वास्तविक स्थिति के संबंध में 10 दिवस की अवधि में प्रतिवेदन सिया सचिवालय को प्रस्तुत किया जाये। तदुपरांत प्रकरण में विचार किया जायेगा। संबंधित को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में प्रस्तावित खदान का स्थल निरीक्षण कर खनन स्थल की वास्तविक स्थिति की जानकारी 10 दिवस की अवधि में सिया कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे। तदुपरांत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

पृ.क्र. 3346 /SEIAA/2022
प्रतिलिपि:-

दिनांक - 17/3/22

1. श्री अंकित गुप्ता, आत्मज श्री सुरेशचन्द्र गुप्ता, निवासी -रामकृष्ण नगर, जिला झाबुआ (म.प्र.)

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

प्रभारी अधिकारी